ISSN: 2393-8900 IMPACT FACTOR : 2.7825(UIF) VOLUME - 9 | ISSUE - 2 | OCTOBER - 2022

HISTORICITY RESEARCH JOURNAL

सन् 1857–58 ई. के विद्रोह में होशंगाबाद[1] क्षेत्र के कुछ गोंड विद्रोही

डॉ. रामबाबू मेहर
सहायक प्राध्यापक (इतिहास),
शासकीय गृहविज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय होशंगाबाद, म.प्र.

प्रस्तावना

सन् 1857 ई. में अंग्रेजी राज के विरूद्ध देश में जो बगावत उठ खडी हुई थी उससे होशंगाबाद का क्षेत्र भी अछूता नहीं था। ऐतिहासिक और दस्तवेजी प्रमाण हमें इस बात में सहायता करते हैं कि होशंगाबाद क्षेत्र में भी बगावत की आग बराबर लगी हुई थी और अंग्रेजों को भगाने के प्रयासों में होशंगाबाद भी पीछे नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ के अनेक आदिवासी राजा, स्थानीय सरदार, गाँवों के पटेल, मुकद्दम आदि प्रभावशाली व्यक्ति भी इस खुली बगावत में अंग्रेजों के खिलाफ थे और अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने तथा उससे अपने क्षेत्रों को बचाने के लिये लोहा ले रहे थे।

शब्द संकेतः– गोंड विद्रोही, 1857 का विद्रोह, स्थानीय राज्य, जमींदार.

उददेश्य

1 सन् 1857 ई. के विद्रोह की प्रकृति को होशंगाबाद के परिप्रेक्ष्य में समझना।
2 आदिवासी क्षेत्रों में विद्रोह की स्थिति पर नये तथ्यों को सामने लाना और उन पर विचार करना
3 उद्घाटित तथ्यों का तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर विश्लेषण करना।
3 शोधार्थियों में स्थानीय इतिहास के प्रति रुचि को बढ़ाना।

शोध प्रवृति एवं शोध सामग्री

प्रस्तुत शोध–पत्र के अध्ययन में तथ्यों का संकलन करना व चयन उपरांत उनको विश्लेषणात्मक एवं परिणामात्मक अनुसंधान के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करना है। लिये गये अध्ययन का विषय अत्यंत रोचक है, परंतु होशंगाबाद के दृष्टिकोण से इस विषय पर आवश्यक व सटीक सामग्री की उपलब्धता का नितांत अभाव है। इस शोध–पत्र में संदर्भ सामग्री के लिये ए. एम. सिन्हा–जिला गजेटियर होशंगाबाद, संचालनालय संस्कृति विभाग, म. प्र., भोपाल, 1994, कंसल्टेशन फाइल्स–राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, डॉ. सुरेश मिश्र–1857 ई. के स्वतंत्रता संग्राम में मध्यप्रदेश के रणबांकुरे, भगवानदास श्रीवास्तव–1857 की क्रांति में मध्यप्रदेश के आदिवासियों का योगदान, आदि से सहायता ली गई है। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम से संबन्धित पुस्तकें, शोधपत्र, शोध–पत्रिकायें, समाचार पत्र आदि का भी उपयोग किया गया है।

18 वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगलों का पतन आरंभ हो गया था और इस स्तिथि का लाभ उठाकर स्थानीय राजा स्वतंत्र होने लगे थे। जानकारी मिलती है कि होशंगाबाद क्षेत्र मुगलों के पतन के बाद स्थानीय गोंड सरदारों के कब्जे में आ गया था और इसके पूर्वी भाग पर राजवाड़ा परगना के गोंड सरदारो ने अधिकार जमा लिया था। पूर्वी भाग में सोहागपुर पर देवगढ़ के राजा ने अधिकार जमाया। बाबई पर बागरा दुर्ग के राजा

का अधिकार हुआ तथा होशंगाबाद के आस–पास का क्षेत्र गिन्नौरगढ़ के राजा के नियंत्रण में आ गया। पश्चिमी भाग अर्थात सिवनी–मालवा तथा हरदा क्षेत्र पर सांवलीगढ़ (बैतूल) का राजा राज्य कर रहा था, जिसका अधीनस्थ रहटगाँव में रहता था। सन् 1756 ई. में भोंसले ने सोहागपुर को अपने अधीन किया और सन् 1775 ई. तक फतेहपुर के राजा भी भोंसले के अधिपत्य में आ गए थे। इन्ही गोंड सरदारों के वंशज इस समय भी राज्य कर रहे थे जब अंग्रेजों ने उनको अपदस्थ करने की असफल कोशिश की थी।

इस समय होशंगाबाद का महत्व इसलिये भी बढ़ गया था कि जब मध्यप्रदेश में विशेषकर भोपाल, इन्दौर और आसपास के क्षेत्रों में जो विद्रोह हुआ उसकी विभिषिका के डर से अंग्रेज अफसर अपनी–अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, तब ऐसे अफसर और उनके मातहत सुरक्षित शरण स्थली के रूप में होशंगाबाद की ओर आ रहे थे। ऐसे अनेक दस्तावेजी प्रमाण हैं कि वे होशंगाबाद में आकर जान बचा सके। 1857 ई. की विद्रोह में होशंगाबाद अंग्रेजी अफसरों, भगोड़े लोगों की शरण स्थली के रूप में विख्यात था।

जब चारों ओर अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध बगावत के झंडे बुलंद हो रहे थे, तब इस क्षेत्र में भी विद्रोहात्मक गतिविधियां बढ़ रही थीं। यहाँ के कुछ गोंड सरदार अंग्रेजी राज के खिलाफ खुलेआम विद्रोह करने लगे थे। इन सरदारों में फतेहपुर के सुरा गोंड, दरियाव गोंड, दारासिंह गोंड, नरपत सिंह गोंड, देवचंद गोंड, मनसुख गोंड का नाम प्रमुख रूप से आता है।[2] अंग्रेजी सरकार की एक रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि होशंगाबाद जिले के सोहागपुर तालुका में लूटपाट का बोलबाला बढ़ गया था।[3] सोहागपुर में डकैतियां शुरू हो गईं थीं तो डिप्टी कमिश्नर जे. सी. बुड ने डिप्टी मजिस्ट्रेट जे. एल. थार्नटन को भेजकर डकैतियों पर रोक लगाई थी। (एन. ई. पैरा–105)

गोंड सरदार भी इस स्थिति का लाभ उठा रहे थे। फतेहपुर का गोंड राजा अर्जुन सिंह गोंड अंग्रेजी शासन का घोर विरोधी था। ऐसी जानकारी मिलती है कि अक्टूबर 1857 में राजा अर्जुन सिंह गोंड अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ बुगुलवाडा में ठहरा हुआ था, संभवत वह किसी गाँव पर हमला बोलना चाहता हो। वहीं उसका पुत्र भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ था और गढ़ी–अंबापानी• से संबंध बनाए हुए था।[4] जैसे–जैसे विद्रोह का जोश फैल रहा था, वैसे–वैसे फतेहपुर का राजा अर्जुन सिंह गोंड अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाये हुये था। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिये उसने सितंबर 1857 ई. में इस क्षेत्र के सभी गोंड राजाओं को सोहागपुर मुकाम पर आमंत्रित किया था। इसमें सोहागपुर के आसपास के अन्य गोंड राजा भी थे।[5]

इसी समय जो बगावत दिल्ली में हुई थी, वह असफल हो गई और विद्रोही वहाँ से भाग रहे थे। सेनापति तात्या टोपे को भी वहाँ से भागना पडा और भागते–भागते नर्मदा नदी तक पहुँच गये। अपने साथियों के साथ तात्या टोपे ने 30 अक्टूबर 1858 ई. को नर्मदा नदी (सांडिया घाट से) पार की और 1 नवंबर को फतेहपुर पहुँचे, जहाँ फतेहपुर के राजा अर्जुन सिंह के आग्रह पर उन्होंने वहीं एक रात विश्राम किया और अगले दिन राजा ने तात्या टोपे को आगे की यात्रा के लिये आवश्यक सामग्री दी व आगे राह में कोई परेशानी न हो इसलिये रास्ता दिखाने के लिये कुछ लोग साथ भेजें।''[6] एक अन्य संदर्भ में मिलता है कि 'तात्या टोपे ने सांडिया घाट से नर्मदा नदी पार की और फतेहपुर के राजा (इस समय यहाँ गोंड़ राजा अर्जुन सिंह ही था, लेकिन इस दस्तावेज़ में उसका नाम नहीं है) ने उन्हें नज़र भेट की और बिट्रिश फौज से बचाते हुये वह उन्हें एक छोटे मार्ग से फतेहपुर ले जाने में सफल रहा। अगले दिन उनको आवश्यक सामाग्री तथा एक मार्गदर्शक के साथ रवाना किया। बाद में अंग्रेजी सरकार ने ऐसा आरोप लगाकर राजा की जाँच की थी, लेकिन जाँच निराधार रही।[7]

फतेहपुर के गोंड राजा को अन्य गोंड सरदार भी साथ दे रहे थे। फतेहपुर का धारासिंह गोंड, सूरा गोंड, दरयाब गोंड, देवचन्द गोंड आदि के नाम अंग्रेजों के विद्रोहियों की सूची में आते हैं और बिटिश प्रशासन ने इनको पकड़ने के लिए 50–50 रुपये का इनाम भी रखा था।[8] उस समय किसी को पकड़ने के लिये सरकार द्वारा पचास रुपये का इनाम घोषित करना एक बडी राशि थी।[9]

जब गढ़ी–अंबापानी[10] का नवाब आदिल मुहम्मद खाँ रायसेन से होशंगाबाद की ओर आया तो फतेहपुर के गोंड राजा और सुहागपुर के गोंड राजाओं ने उसकी मदद की थी।[11] उसके साथ महादेव पहाडी में हर्राकोटा का बभूत सिंह आ मिला, तथापि आदिल मुहम्मद खाँ वापिस चला गया, लेकिन बभूत सिंह, फतेहपुर तथा शोभापुर के राजा ने विद्रोह की गतिविधियाँ जारी रखीं और मद्रास इन्फेन्ट्री (अंग्रेजी फौज़) की एक टुकडी से पिपरिया–पचमढ़ी मार्ग पर देनवा नदी के निकट इनकी मुठभेड भी हुई, लेकिन इस टुकडी द्वारा इन विद्रोहियो को खदेड दिया गया।[12] बभूत सिंह के साथ कुल कितने राजा और जमींदार थे, इसकी जानकारी नहीं मिलती है,

लेकिन यह माना जाता है कि कई गोंड राजा, जमींदार, पटेल आदि उसकी कमांड में अंग्रेजों के विरूद्ध लड़ रहे थे।[13]

होशंगाबाद क्षेत्र में गोंडो का यह विद्रोह भले ही किसी बड़ी घटना को अंजाम न दे पाया या अपने उदेश्यों में सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसमें होशंगाबाद क्षेत्र में अंग्रेजी सरकार के ख़िलाफ विद्रोह करने की शक्ति दिखाई दी और आगे आने वाले विद्रोहों के लिये उदाहरण प्रस्तुत किया।

संदर्भ एवं टिप्पणियाँ

1 जिला होशंगाबाद को फरवरी–2022 से नर्मदापुरम् के नाम से जाना जाने लगा है, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस शोधपत्र में होशंगाबाद ही उल्लेखित किया गया है।

2 राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, कंसल्टेशन 357–58, दिनांक 30.12.1858, पॉलिटिकल सप्लीमेंट्री, कमिश्नर जबलपुर का भारत सरकार के लिए पत्र संख्या–130, दिनांक 05.03.1858

3 राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली कंसल्टेशन 581–82, दिनांक 30.10.1857 सीक्रेट,साप्ताहिक रपट–होशंगाबाद जिला, क्रमांक 13 से 19 दिनांक जुलाई 1857 कमिश्नर जबलपुर का पत्र संख्या 114 दिनांक 08.08.1857

4 श्रीवास्तव, भगवानदास, 1857 की क्रांति में मध्यप्रदेश के आदिवासियों का योगदान, पृ. 43, अन्यत्र डॉ. रामबाबू मेहर, बैरसिया में 1857 का विद्रोही सुजाअत खाँ, हिस्टॉरिसिटी इंटरनेशनल रिसर्च जनरल, सोलापुर, महाराष्ट्र, संपादक– डॉ. संजय गायकवाड़, पृ. 10

5 राष्ट्रीय अभिलेखागार, भोपाल यूनिट, डिस्क्रिप्टिव रोल–3, पत्रावली–63, लाला बेजालाल का रीजेंट बेगम भोपाल को पत्र, दिनांक 16.09.1857, पृ. 185

6 जे. डी. बी. सी. पॉलिटिकल केस फाइल नं. 58 ऑफ 1858,व कुछ अन्य सिपाहिया के साथ होशंगाबाद के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बाल्डविन ने 6 नबम्बर 1858 को सूचना दी कि 30–31 अक्टूबर के दरम्यान तात्या टोपे ने बंडा नबाब आदि के साथ सांडिया घाट से नर्मदा नदी पार करके फतेहपुर`की ओर गये।

7 सी. पी., डी. जी., होशंगाबाद, 1908, पृ. 38

8 श्रीवास्तव, भगवानदास, पूर्वोक्त–पृ. 43–44

9 फॉरेन सीक्रेट सप्लिमेंट, कान्स, 30 दिसम्बर, 1859, नं. 358 में जबलपुर डिवीज़न के विद्रोही नेताओं की सूची में इनके नाम थे, जिन पर गिरफ्तारी के लिये अंग्रेजी सरकार द्वारा इनाम घोषित किया गया था।

10 गढ़ी–अंबापानी वर्तमान में मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में है। 1857 की बगावत के समय भोपाल रियासत में विद्रोह के जो चार केन्द्र थे उनमें गढ़ी–अंबापानी भी एक प्रमुख केन्द्र था। गढ़ी–अंबापानी के नबाव आदलि मुहम्मद खाँ और उसका भाई फाजिल मुहम्मद खाँ ने अंग्रेजी राज व बेगम भोपाल के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और उनका आसपास के तमाम विद्राहियों से लगातार बना हुआ था। फतेहपुर के अर्जुन सिंह गोंड के पुत्र का संपर्क भी उनसे बना हुआ था।

11 जिला गजेटियर होशंगाबाद, 1908, पृ. 67

12 सिन्हा, ए. एम. जिला गजेटियर होशंगाबाद, संचालनालय संस्कृति विभाग, म.प्र., भोपाल, 1994, पृ. 56

13 वही, पृ. 56